अति. आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक–एफ.15(7) विधि/न्याया./आईसीडीएस/2016/12703471 जयपुर,दिनांकः 28.9.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
..... ।

वाद प्रभारी अधिकारी (समस्त),
मुख्यालय।

विषयः–विभाग के न्यायिक प्रकरणों का जबाव न्यायालय में पेश करवाकर उसका इन्द्राज न्याय विभाग की बैवसाईट (LITES) पर कर रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आप एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों से संबधित कुल .....न्यायिक प्रकरणों में जबाव पेश करने का इद्रांज न्याय विभाग की बैवसाईट पर नहीं हो रहा हैं। आपको बार–बार निदेशालय के पत्र दिनांक 05.01.2016, 10.02.2016, 20.01.2016, 08.02.2016, 29.04.2016, 23.05.2016 एवं 16.06.2016 से निर्देश दिये जाने के बावजूद भी आप द्वारा आपके जिले से संबधित न्यायिक प्रकरणों का न्याय विभाग की बैवसाईट (LITES) पर जबाव पेश करने का इन्द्राज नहीं किया गया हैं। जो अत्यन्त खेद का बिषय हैं, उक्त स्थिति को माननीय मंत्री महोदय, न्याय विभाग, एवं माननीया राज्य मंत्री महोदया मबावि द्वारा बहुत ही गम्भीरता से लिया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों से संबधित सलंग्न सूची अनुसार न्यायिक प्रकरणों में जबाव पेश करने का इद्रांज न्याय विभाग की बैवसाईट पर तीन दिवस में करने की कार्यवाही करें। और **यदि किसी प्रकरण में जबाव मा. न्यायालय में पेश नही कराया हैं तो तत्काल जबाव पेश करवाकर उसका इद्राज न्याय विभाग की वेबसाईट पर करे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कई विभागों के प्रकरणों में जवाब पेश नही होने को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर कोस्ट आरोपित की गई है, इसलिए जिन प्रकरणों का जवाब न्यायालय में पेश करवाना शेष है उनमें तत्काल जवाब पेश करवाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशों को गम्भीरता से पालना की जावे अन्यथा विपरित स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी/प्रभारी अधिकारी की होगी।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार पुश्त पर

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ.15(7) विधि/न्याया./आईसीडीएस/2016/ जयपुर,दिनांकः
प्रतिलिपि: उप निदेशक (एसीपी), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर